

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जि. गौतमबुद्ध नगर

पत्र सं० :- नौएडा/मु०वा०नि०/RTI/2020/1689

दिनांक :- 4/6/20

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आर०टी०आई० द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में ।

कृपया आवेदन के विषय में निम्नानुसार अवगत कराना है कि :-

आवेदन सं०	26264
आवेदक का नाम	
उत्तर	
<p>बिन्दु सं० - 1 में चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं० जीएच - 01ए, सैक्टर - 78, नौएडा का अधिभोग प्रमाण पत्र नौएडा भवन विनियमावली, 2010 के अनुसार समस्त प्रपत्र जमा/पूर्ण कराने के उपरांत निर्गत किया गया है ।</p> <p>बिन्दु सं० - 2 अवगत कराना है कि संदर्भित भूखण्ड के आवंटी द्वारा परिसर में विजिटर्स पार्किंग का प्राविधान किया गया है ।</p> <p>बिन्दु सं० - 3 व 4 में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं० जीएच - 01ए, सैक्टर - 78, नौएडा का अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया गया है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में परिवर्तन करने या किन्ही अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आवंटी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।</p> <p>बिन्दु सं० - 5, 6 व 7 में चाही गयी सूचना ग्रुप हाऊसिंग विभाग से सम्बन्धित है ।</p> <p>बिन्दु सं० - 8 व 9 में चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवंटी संस्था द्वारा परियोजना के अन्तिम अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन नहीं किया गया है ।</p>	

अति० जनसूचना अधिकारी(सम्बन्धित नियोजन कार्य)
नौएडा

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी जनसूचना अधिकारी, नौएडा को सूचनार्थ ।
2. जनसूचना अधिकारी(ग्रुप हाऊसिंग विभाग) को इस आशय के साथ कि बिन्दु सं० 5, 6 व 7 में चाही गयी सूचना सीधे प्रभारी जनसूचना अधिकारी एवं आर०टी०आई० आवेदक को भिजवाने का कष्ट करें ।

अति० जनसूचना अधिकारी(सम्बन्धित नियोजन कार्य)
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर-201301

पत्रांक: नौएडा/लेखा/ले0अ0(गु0हा0)/2020/704

दिनांक: 3/3/2020

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आर0 टी0 आई0 आवेदन संख्या: 26264 के द्वारा भूखण्ड संख्या: जी एच 01ए, सैक्टर 78, नौएडा के विरुद्ध मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त आर0 टी0 आई0 से सम्बन्धित मांगी सूचना निम्नानुसार हैं-

बिन्दु संख्या (1 से 6 एवं 8 से 9) के क्रम में मांगी गई सूचना ग्रुप हाउसिंग परिसम्पत्ति विभाग/नियोजन विभाग से सम्बन्धित हैं।

बिन्दु संख्या (7) के क्रम में

अवगत कराना हैं कि आबंटी मैसर्स Nexgen Infracon Pvt. Ltd. भूखण्ड संख्या: जी एच/01ए, सैक्टर 78, नौएडा के विरुद्ध दिनांक 31.01.2020 तक पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार रु. 25.43 करोड़ की देयता बनती हैं।

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी जन सूचना अधिकारी को सूचनार्थ।

लेखाधिकारी (गु0हा0)

लेखाधिकारी (गु0हा0)

RTI No. 915972 dth 15-2-20

RTI No 915972 dt 15-2-20

2. Period to which the information relates: N/A

3. Details of Information

A Partial OC with Reference No. Noida/MVN/2019/III-272/1123 has been issued by NOIDA Authority to M/s Nexgen Infracon Pvt Ltd for a Group Housing Project Mahagun Mezzaria at Plot No GH-01/A, Sector-78, Noida, UP. The Partial OC has been granted for three towers and 312 Units, in this regard following information may kindly be provided:

1. Has the developer met with all the conditions detailed in the letter Reference No. Noida/MVN/2019/III-272/1123?
2. Has it been verified that the developer has provided adequate Visitors Parking in line NOIDA Authority Building Regulations - 37 'Parking spaces'.
3. Has Noida Authority received any complaints from Flat buyers regarding the project which would be covered under condition no 6 of partial OC mentioned above. Please provide details of complaints received.
4. Kindly detail what action if any has the Noida Authority taken as per condition no6 detailed in the partial OC.
5. How many Units have been registered so far out of 312 stated as completed units.
6. Has the developer cleared all required dues to have all the 312 units registered.
7. If all dues have not been cleared, kindly provide details of outstanding dues towards Noida Authority.
8. Has the developer applied for Occupancy Certificate for the entire project.
9. If yes when is Noida Authority likely to complete its inspection and issue Full Occupancy Certificate.

4. Application fee details

Encl. Application Fee of Rs 10/- by IPO No. Pay To: Accounts Officer

5. Below Items are for your kind information and consideration

- a. As per section 6(3) of the RTI Act 2005, In case, the requested information is